

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 — चैत्र 1, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 (चैत्र 1, 1938)

क्रमांक-141/वि.स./विधान/2016 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 5 सन् 2016) जो सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-  
(देवेन्द्र वर्मा)  
प्रमुख सचिव.

## छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 5 सन् 2016)

## छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, 1. विस्तार तथा प्रारंभ.

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 36 का संशोधन. 2.

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खण्ड (ढ) एवं (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्,-

“(ढ) जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या मंडल से,-

(एक) पंच पद के लिये, 5वीं परीक्षा; और

(दो) पंच के ऊपर के पदधारी के लिये, 8वीं या समकक्ष परीक्षा,

उत्तीर्ण न हो :

परंतु यह प्रावधान इस संशोधन के प्रवृत्त होने के पूर्व निर्वाचित पदधारियों के विषय में लागू नहीं होगा.

(ण) जिसके निवास परिसर में, जलवाहित शौचालय न हो.”

## उद्देश्य और कारणों का कथन

यतः, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करने और शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) में संशोधन करने का विनिश्चय किया है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,  
दिनांक 5 मार्च, 2016

अजय चंद्राकर  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (ढ) एवं (ण) का सुसंगत उद्धरण

(1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का पदधारी होने का पात्र नहीं होगा-

“(ढ) जो साक्षर नहीं है :

परंतु यह शर्त तीस वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिये लागू नहीं होगी.

(ण) जिसके निवास परिसर में, निर्वाचित हो जाने के एक वर्ष बाद भी जलवाहित शौचालय न हो.”

देवेन्द्र वर्मा  
प्रमुख सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधान सभा.